न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A8

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2017

1. सरस्वती पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मिर्जवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **प्रार्थीया**

—:: बनाम ::—

1. बिरमादेवी पुत्री स्व. श्री मदन गोपाल पत्नी श्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर नहाल राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती कैलोदेवी (मृतका) पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालुखाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. देवीलाल पुत्र कैलोदेवी पुत्री मदनगोपाल पत्नी मनफुलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालुखाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. विद्या देवी पुत्री स्व. केलो (पुत्री मदन गोपाल पत्नी मनफूल) पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी बारेका तहसील व जिला फाजिल्का।
5. रानी पुत्री स्व. केलो (पुत्री मदन गोपाल पत्नी मनफूल) पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फालिल्का।
6. सूर्यादेवी पुत्री स्व. मदनगोपाल पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालुखाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. लालावती पुत्री स्व. मदनगोपाल पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालुखाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. शान्ति देवी पत्नी सादुलराम पुत्र स्व. मदनगोपाल जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. संजय कुमार } पुत्रान सादुलराम पुत्र स्व. मदनगोपाल जाति जाट निवासी मिर्जेवाला
10. विक्रम } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. निर्मला पुत्री स्व. हंसराज पुत्र मदनगोपाल पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी बारेका तहसील व जिला फाजिल्का।
12. सुमनदेवी उर्फ सुमनबाला पत्नी सन्तोष कुमार जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. विशव मोहन पुत्र सन्तोष कुमार पुत्र हंसराज पुत्र मदनगोपाल जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. राममूर्ति बेवा भोलाराम पुत्र हंसराज पुत्र मदन गोपाल जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. राहुल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. पुष्पा पुत्री भोलाराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. सलवेर सिंह पुत्र काकासिंह जाति रामगढ़िया निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. गुरबच्चनसिंह पुत्र सलेवरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी जयचन्द जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

20. सुनील कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. नानूराम उर्फ नानकराम पुत्र लालुराम जाति बाजीगर निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. मेजरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह
24. जगमोहनसिंह पुत्र हरबन्ससिंह } जाति तरखान निवासी 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — प्रार्थीया
2. श्री मोहनलाल छाबड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 27.06.2016

प्रार्थीया नें जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीया के ससुर व वादिया के पिता मदनगोपाल द्वारा चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 48, 52 व 53 के कुल पैतृक सम्पत्ति का विभाजन अपनें अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 1.04. 1972 को बजरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा कर दिया था और इस बंटवारनामा से वादिया के पति का मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 10 तमाम सालम कुल 12 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी वादिया के पति का इस पैतृक सम्पत्ति में चौथा हिस्सा था। इसी लिहाज से इस बंटवारानामा से 12 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। इस बंटवारनामा के अनुसार मदनगोपाल व उसके तीनों पुत्रों का नाम दर्ज हो गया था। और उसमें इस बंटवारानामा से जितनी भूमि उन्हे मिली थी उसका अंकन हो गया था और इन्तकाल में भी उक्त किला नम्बर के हिसाब से चारों व्यक्तियों के नाम से किला वाईज इन्तकाल हो गया था परन्तु इस इन्तकाल का इन्द्राज जब जमाबन्दी में किया गया तो पटवारी नें भूल से अलग अलग व्यक्तियों को मिले अलग अलग किले के हिसाब से खाता का विभाजन नहीं किया गया परन्तु जमाबन्दी में इन चारों व्यक्यिों का नाम सयुक्त खाता में डाल दिया गया परन्तु इस बंटवारानामा व इन्तकाल अनुसार जमाबन्दी में पृथक पृथक किला नम्बर प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग दर्ज करते हुए खाता का विभाजन कर देना चाहीये था भूमि खाता में संयुक्त रहनें से प्रार्थीया विभाजन से मिली इस पृथक सम्पत्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। और प्रार्थीया के इस पृथक कब्जा में दूसरे हिस्सेदारान दखलान्दाजी करते रहे है। इस भूमि के संयुक्त रहनें से संयुक्त उपयोग किया जाना अत्यन्त मुश्किल हो रहा है। भूमि के संयुक्त रहनें से लगान व आबियाना अदायगी में व भूमि की पानी की बारी में समय निश्चित करनें में कठिनाई महसुस हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया बंटवारा दिनांक 12.04.1972 के अनुसार प्रार्थीया के पति जगदीश को प्राप्त व प्रार्थीया को विरास्त में मिली भूमि वाके चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 21 ता 25 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 10 प्रत्येक सालम कुल 12 बीघा भूमि को पृथक सम्पत्ति घोषित करवानें की अधिकारिणी है। यदि इस बंटवारानामा के आधार पर प्रार्थीया को इस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित न समझा जावे तो उस सूरत में प्रार्थीया इन किलाजात पर अपनें पति के जीवनकाल में काबिज चले आनें व वर्तमान में काबिज रहनें में इस खाता के विभाजन में यह किलाजात पानें की अधिकारिणी है। मुरब्बा नम्बर 48 व 52 की पानी की पर्ची जगदीया के नाम बांधी जाकर जगदीश को दी जा रही है। पानी पर्ची प्रसताव 2014–15 से 2017–18 की नकल संलग्न जबाब है। वादिया व शेष अप्रार्थीगण प्रार्थीया के इन किलों को प्रार्थीया के खातेदारी घोषित करवानें में सहमत नहीं होनें से वादिया माननीय न्यायालय से इन किला के सम्बंध में घोषणा करवानें की अधिकारिणी है।

उपरोक्त किलाजात प्रार्थीया के पति के जीवनकाल में प्रार्थीया के कब्जा में था वादिया के पति की दिनांक 06.10.2016 को अचानक देहान्त होंने पर उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीया के पास है। जगदीश के नाम की भूमि का इन्तकाल माननीय न्यायालय की अनुमति से प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जा चुका है। परन्तु प्रार्थीया के अबला वृद्ध बेवा औरत होनें से अप्रार्थीगण के मन में बदनियती पैदा हो गई है और प्रार्थीया के इस भूमि के कब्जा में दखल अन्दाजी करनें में उतारू हो गये है। प्रार्थीया अपनी भूमि की काश्त हेतु मन्शाराम पुत्र लालचन्द से मदद ले रही है। और अप्रार्थीगण प्रार्थीया द्वारा इस प्रकार से उक्त भूमि काश्त करनें में परेशानी पैदा कर रहे है ऐसी सूरत में प्रार्थीया द्वारा इस प्रकार से उक्त भूमि काश्त करेनं में परेशानी पैदा कर रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पानें की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि वाके चक 10 एफ बड़ा जिला श्रीगंगानगर मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 4 किला नम्बर 8 ता 10 की कुल 12 बीघा भूमि में कब्जा प्रार्थीया के किसी प्रकार से दखलान्दाजी करनें प्रार्थीया के कब्जा की भूमि में प्रार्थीया को बेदखल करनें व इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होनें से निषेध रहे।

प्रार्थीया नें अप्रार्थीगण से अपनी इस भूमि में प्रार्थीया के अधिकारों को स्वीकार करनें व प्रार्थीया के कब्जा में कोई हस्तक्षेप न करनें व प्रार्थीया को बेदखल न करनेंव जबरदस्ती काबिज न होनें का कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगण नें ऐसा करनें से साफ इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें कारण है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया व प्रार्थीया द्वारा काश्त करवानें वाले व्यक्ति के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे के चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 10 की प्रत्येक सालम कुल 12.00 बीघा के कब्जा में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करनें व इस भूमि से प्रार्थीया को बेदखल करनें व जबरदस्ती काबिज होनें व काश्त में कोई रूकावट किसी किस्म की डालनें से निषेध रहे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद संख्या 18/2014 बिरमादेवी बनाम जगदीश राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। लेकिन जानबुझकर सही तथ्य पत्रावली व प्रार्थीया व उसके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है एवम् जब पत्रावली ही जेरकार (Pending) नहीं है ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय द्वारा किस आदेश से पत्रावली राजस्व मण्डल भेजी उसका हवाला नहीं दिया गया है। यह तथ्य विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (Misuse of process of law) है, जिसके निम्न कारण है।

1. वाद वर्ष 2014 से जैरकार है।
2. दिनांक 15.07.2015 का मुकदमा माल बनम्बर 24/2014 अनवानी बिरमा बनाम जगदीश आदि जगदीश की मृत्यु के बाद अब सरस्वती पक्षकार बनी में अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड एवम् मौके की यथास्थिति कन्फर्म किया।

लगातार 4

3. आदेश दिनांक 15.07.2015 अन्तिम के विरूद्ध आज तक कोई अपील Review Revision नहीं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवम् प्रार्थीया सरस्वती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तिर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भारी हर्जाना करीब 2,000 रूपये पर खारिज फरमाया जावे। एवम् ऐसी परिस्थितियों में मामला न्यायालय की अवमानना के अन्तर्गत राजस्व मण्डल में प्रेषित किया जावे। क्योंकि प्रार्थीया क्लीन हैण्डस से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आई है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद पाया गया कि उक्त प्रकरण से सम्बंधित दिनांक 15.07.2015 का मुकद्मा माल बनम्बर 24/2014 अनवानी बिरमा बनाम जगदीश आदि जगदीश की मृत्यु के बाद अब सरस्वती पक्षकार बनी में अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड एवम् मौके की यथास्थिति कन्फर्म किया। जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है ऐसी अवस्था में प्रार्थीया सरस्वती पत्नी जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होनें के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुर्जवाली के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उदय सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर